न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा शंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 28 / 15

1 घांसीलाल गोयल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासी घण्टाघर, कोटा

– वादी

बनाम

1 रामनारायण पुत्र गेन्द्या जी
2 रामकरण पुत्र गेन्द्या जी
3 प्रभू पुत्र गेन्द्या जी
4 रामपाल पुत्र गेन्द्या जी
जाति तैली, निवासीगण ग्राम रानपुर, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6 नायब तहसीलदार, उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 19 .02 .2018

उपस्थिति : श्री विजय कुमार सिंघल, वादी अभिभाषक

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या हाल खसरा नं. 318 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम रानपुर, पटवार क्षैत्र रानपुर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में संवत 2010–2016 में वादी की माता छाहू उर्फ छोटू बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासिनी, घण्टाघर, कोटा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, जिसकी वादी की माता बतौर खातेदार काबिज काश्त थी। इसके पश्चात संवत 2016–2024 व 2038–2057 में उक्त आराजी का निम्नानुसार नये खसरा नम्बर व रकबा कायम किया गया –

संवत 2010 – 2016		संवत 2016 – 2014		संवत 2038 – 2057	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
136	1 बीघा 14 बिस्वा	263	1 बीघा 14 बिस्वा	318	0.29 हैक्टर
1164 / 261	5 बीघा 01 बिस्वा	139	03 बिस्वा	514	0.03 हैक्टर
		140	2 बीघा 05 बिस्वा	550	0.23 हैक्टर
		141	2 बीघा 09 बिस्वा	552	0.26 हैक्टर
कुल	6 बीघा 15 बिस्वा	कुल	6 बीघा 11 बिस्वा	कुल	0.81 हैक्टर
वर्तमान पद्यति में : 1.08 हैक्टर		वर्तमान पद्यति में : 1.05 हैक्टर			

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

वादी की माता की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 24.11.1992 से वादी के खाते दर्ज की गई तथा वादी वर्तमान में 0.78 हैक्टर आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के खाते में सेटलमेन्ट 2038–2057 से पूर्व खसरा नम्बर 114 में कुल 2 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज रेकार्ड थी जिसे सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नये खसरा नम्बर 553 रकबा 0.25 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 554 रकबा 0.25 हैक्टर कायम कर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के खाते दर्ज कर दी गई। सेटलमेन्ट से पूर्व के राजस्व नक्शे से मिलान करने पर भी खसरा नम्बर 553 की आराजी वादी के खाते दर्ज की जानी चाहिये थी तथा वर्तमान में भी खसरा नं. 553 की आराजी वादी के कब्जे काश्त में है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से आराजी के रकबे में परिवर्तन कर आराजी खसरा नम्बर 553 रकबा 0.25 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को उनके पूर्व में दर्ज आराजी से अधिक रकबा दर्ज कर विधि विरूद्ध लाभ पहुंचाया गया है तथा भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भू प्रबन्ध के दौरान आराजी के रकबों एवं किस्म में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होता है परन्तु भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किया गया उक्त कृत्य अवैध, अनाधिकृत तथा विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। खसरा नम्बर 553 रकबा 0.25 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित करवाकर भू प्रबन्ध अधिकारी के अधकारातीत अवैध एवं प्रभावशून्य कृत्यों द्वारा की गई उक्त त्रुटि दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 553 रकबा 0.25 हैक्टर को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किये गये उक्त त्रृटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर आये दिन वादी से विवाद करते है तथा वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। तथा राजस्व रिकार्ड के गलत प्रविष्ठी के आधार पर आराजी का बेचान करने पर आमादा है। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 5 व 6 से उक्त त्रृटि दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की गई परन्तु प्रतिवादी क्रम 5 व 6 द्वारा वादी को उक्त त्रुटि दुरूस्त किये जाने का आश्वासन दिया जाता रहा, परन्तु उक्त त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जाने के कारण इन्द्राज में दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया गया इसलिये वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी क्रम 5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) तथा प्रतिवादी क्रम 6 नायब तहसीलदार, उप–तहसील मण्डाना तहसील, लाडपुरा जिला कोटा पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का है और यदि दो माह तक नोटिस दिया जाकर इंतजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 आराजी का विक्रय कर देगे तथा अनेक कानूनी एवं तकनीकी जटिलताएँ उत्पन्न होगी, तथा वादी का वाद पेश करने का उद्देश्य ही विफल एवं निरर्थक हो जावेगा, अतः नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 80(2) जा0दी0 के तहत पृथक से प्रार्थना प्रस्तुत कर दिया गया है। वाद का वादकारण प्रतिवादी क्रम 5 व 6 द्वारा दिनांक 20–04–2015 को उक्त इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर खसरा नं0 553, ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को वादी के खाते दर्ज करने से इंकार करने के कारण माननीय न्यायालय के न्यायक्षैत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 553 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रानपुर पटवार क्षैत्र रानपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षे मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा का वादी को खतेदार घाषित किया जावे तथा आराजी प्रतिवादी 1 लगायत 4 के खातें से हटायी जाकर वादी के खातें दर्ज कर राजस्व रिकार्ड के अमल–दरामल करने हेतु प्रतिवादी क्रम 5 एवं 6 को आदेशित फरमाया जावे। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

इस आशय कि स्थाई निषेघाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावें, कि वे उक्त आराजी खसरा नं0 553 रकबा 0.25 है0 वाकें ग्राम रानपुर पटवार क्षैत्र रानपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जें काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द, रहन, बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें। वादी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

1.	प्रदर्श 1	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 318, 514, 550, 552 रकबा 0.81 हैक्टर की जमाबन्दी संवत 2067–2070 की नकल।
2.	प्रदर्श 3	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 136, 1164/261 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा की जमाबन्दी संवत 2014–2017 की नकल।
3.	प्रदर्श 4	ग्राम रानपुर के हाल खसरा नम्बर 139, 140, 141, 113, 141, 263 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2016–2024
4.	प्रदर्श 5	ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 139, 140, 141, 263 की नकल जमाबन्दी संवत 2016
5.	प्रदर्श 6	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 114 की जमाबन्दी संवत 2028–2031
6.	प्रदर्श 7	नकल नक्शा मौजा रानपुर संवत 2013–2014
7.	प्रदर्श 10	ग्राम रानपुर के हाल खसरा नम्बर 318, 550, 552, 514 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2024
8.	प्रदर्श 11	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 318, 514, 550, 552 की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057
9.	प्रदर्श 12	ग्राम रानपुर के हाल खसरा नम्बर 553, 554 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2024
10.	प्रदर्श 13	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 553, 554 की नकल जमाबन्दी संवत 2046–2050
11.	प्रदर्श 14	ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 553, 554 की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की जर्ये तहसीलदार तलवी हेतु नियमानुसार सम्मन जारी किये गये। इनमें प्रतिवादी क्रम 5 व 6 की तलवी प्राप्त होने तथा अन्य प्रतिवादीगण की तामील नहीं होने पर, शेष प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की जर्ये रजिस्टर्ड डाक तलवी सम्मन जारी कराये जाने के उपरान्त एक माह (30 दिवस) से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 अथवा उनके किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर आदेश 5 नियम 9 (5), पैरा–2 सीपीसी के अन्तर्गत प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से वादी घांसीलाल गोयल के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के फलस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी की जिरह निल की गई।

दौराने वाद पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादी के खाते से आराजी के कम हुये रकंबे की पूर्ति प्रतिवादी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 553 के रकबे से किये जाने का निवेदन किया गया। हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी की माता के खाते संवत 2016–2024 में 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)
सहायक कलक्टर, कोटा

दर्ज रेकार्ड थी। वर्तमान पद्यति में उक्त रकबा 1.05 हैक्टर होता है जबकि वादी के खाते 0.81 हैक्टर आराजी दर्ज की गई है। इस प्रकार वादी के खाते गत रकबे के मुकाबले 0.24 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है। संवत 2028–2031 में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता के खाते 2 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज रेकार्ड थी, उक्त रकबा 0.42 हैक्टर होता है तथा प्रतिवादी के खाते 0.50 हैक्टर रकबा दर्ज रेकार्ड है। इस रकबे का अन्तर 0.08 हैक्टर होता है जिससे वादी के कम हुये रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि वादी को अपनी आराजी के रकबे की पूर्ति हेतु 0.24 हैक्टर अतिरिक्त रकबा दर्ज कराये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज आराजी के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अथवा तथ्य पेश नहीं किया गया है कि उनकी आराजी के रकबे की पूर्ति कहॉ से की जा सकती है ? प्रतिवादीगण के खाते मात्र 0.08 हैक्टर आराजी अधिक दर्ज है जिससे वादी के 0.24 हैक्टर रकबे की कमी पूर्ति नहीं की जा सकती है। Burden of Prove स्वयं वादी का होता है तथापि वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद सिद्ध किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19 फरवरी, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर, कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1 घांसीलाल गोयल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासी घण्टाघर, कोटा

– वादी

बनाम

1 रामनारायण पुत्र गेन्द्या जी
2 रामकरण पुत्र गेन्द्या जी
3 प्रभू पुत्र गेन्द्या जी
4 रामपाल पुत्र गेन्द्या जी
जाति तैली, निवासीगण ग्राम रानपुर, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6 नायब तहसीलदार, उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 188, 209 RTA
मुकदमा नम्बर : 28/15
निर्णय दिनांक : 19-02-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री विजय कुमार सिंघल की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 19–02–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद सिद्ध किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

19/2/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

सहायक कलक्टर, कोटा